न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

जमानत आवेदन सं0 204/2026

आंदर थाना कांड सं0–65/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा– 309(4) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

विकास यादव..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य, द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थित– श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

06.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त विकास यादव की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, आंदर थाना कांड संख्या 65/2025, अंतर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त विकास यादव के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक नूरबसर अंसारी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक यह है कि सूचक दिनांक 04.03.2025 को समय करीब 08:20 बजे संध्या में अपना दुकान बंद कर घर वाली दुकान के लिए एक बोरी सर्फ, एक तेल का पेटी, लंच बॉक्स, एक जुता , एक चिलगम का डिब्बा, नगद पन्द्रह हजार रूपया, दुकान का चाभी और आईफोन 12 Pro Max Gold 128GB IMEI No. 356720113265287 लेकर जा रहा था। वह मदेशिलापुर शमशान घाट के पास पहुॅचा था कि पीछे से दो बाईक पर चार अपराधकर्मी आएं और उसका सारा सामान छीन लिए और फोन का पॉसवर्ड पूछ रहे थे, नहीं बताने पर कट्टा और पिस्टल के पीछे वाले हिस्से से उसके सिर पर मारे जो बाईक पर सवार होकर आए थे उसमें से एक सफेद अपाची थी और एक बाईक काली रंगी की थी और सारा सामान भवराजपुर की तरफ लेकर भाग गए।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि काराधीन अभियुक्त आवेदक दिनांक 09.02.2026 से कारा में है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है उसे स्थानीय राजनीति एवं पूर्व के दुश्मनी के कारण झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त स्वच्छ छवि का व्यक्ति है तथा उसके विरूद्ध इस मुकद्मा के अलावे कोई अन्य मुकद्मा दर्ज नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त का नाम इस केस में सह अभियुक्त

लगातार
06.03.2026

विनय सिंह के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। अभियोजन कहानी पूर्णतयाः झूठा, मनगढ़ंत और निराधार है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के सचेत कब्जे से या घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और इस आपराधिक वाद के सह अभियुक्त विनय सिंह जमानत पर है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त का नाम बताने के लिए एक भी साक्षी नहीं है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सूचक का एक बोरी सर्फ, एक तेल का पेटी, लंच बॉक्स, एक जुता, एक चिलगम का डिब्बा, नगद पन्द्रह हजार रूपया, दुकान का चाभी और आईफोन लूटने का गंभीर अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, आंदर थाना कांड संख्या 65/2025, अंतर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा सूचक का सामान, मोबाईल फोन एवं नगद पन्द्रह हजार रूपया लूटने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। यद्यपि काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है उसकी कथित अपराध में संलिप्तता का तथ्य सह अभियुक्त विनय सिंह के द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है (कांड दैनिकी की कंडिका 53 में वर्णित)। अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों ने अपने अभियोजन साक्ष्य के क्रम में तथाकथित घटना का समर्थन किया है। (कांड दैनिकी की कंडिका 02,06,07, में वर्णित)। काराधीन आवेदक/अभियुक्त पूरक आवेदन देकर यह वर्णित किया गया कि उसके विरूद्ध इस वाद के अतिरिक्त दो अन्य आपराधिक वाद लंबित है जो इस प्रकार है– 1. हुसैनगंज थाना कांड सं0 40/2025, धारा 126(2), 115(2), 352 बी.एन.एस., 2. हुसैनगंज थाना कांड सं0 135/2025, धारा 126(2), 115(2), 303(2) बी.एन.एस. है। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए काराधीन आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्आलोक में आवेदक/अभियुक्त विकास यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पत्र को इस सम्प्रेक्षण के साथ अस्वीकृत किया जाता है किंतु आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने/आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात् वे जमानत का नवीनकरण कर सकते हैं।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।